भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2280**

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

**स्थानीय ट्रांसपोर्टरों पर पथ कर**

2280. श्री सागर ईश्वर खंड्रे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बसवकल्याण (बांग्ला) से मात्र 23 किलोमीटर दूर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर स्थित तलमूड टोल प्लाजा स्थानीय ट्रांसपोर्टरों, ट्रक ऑपरेटरों और अंतर्राज्यीय मालवाहक वाहनों से बार-बार पथकर वसूलता है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार, परिवहन संघों या जन-प्रतिनिधियों ने प्रतिदिन 18,000 से अधिक लॉरियों की आवाजाही के साथ एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में बसवकल्याण की भूमिका को ध्यान में रखते हुए पथकर रियायतों, छूट या स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार ने 45,000 से अधिक परिवहन कामगारों के वित्तीय बोझ, मार्ग पर भीड़-भाड़ और प्रचालनात्मक अक्षमता का आकलन किया है;

(घ) क्या सरकार बसवकल्याण जाने वाले वाहनों के लिए स्थानीय प्रयोक्ता रियायत, मासिक पास या पथकर को युक्तिसंगत बनाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रमुख पारगमन केन्द्र को प्रभावित करने वाली वर्तमान पथकर व्यवस्था को बनाए रखने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 और संबंधित रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, तलमूड शुल्क प्लाजा सहित शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क, संबंधित शुल्क प्लाजा की परियोजना प्रभाव लंबाई के भीतर इसके विशिष्ट स्थान पर नहीं, बल्कि परियोजना प्रभाव लंबाई के आधार पर संग्रहित किया जाता है। पूरे देश में संबंधित श्रेणियों के वाहनों के लिए आधार दरें समान रूप से लागू होती हैं।

(ख) सरकार को टोल रियायतों / छूट या शुल्क प्लाजा के पुनर्स्थापन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिनकी विधिवत जांच की जाती है और मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार उनका समाधान किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार, जिले में पंजीकृत

गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रयोक्ता शुल्क में छूट और राष्ट्रीय राजमार्गों के नियमित प्रयोक्ताओं के लिए मासिक पास के प्रावधान पहले से ही हैं।

(ग) से (ड.) कामगारों की किसी विशेष श्रेणी के लिए कोई अलग मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार राजमार्ग विकास के लिए राजस्व आवश्यकताओं और सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ को कम करने के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर टोलिंग नीति की समीक्षा करती रही है। यथा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008, में राजमार्ग की लंबाई और वाहन के प्रकार से जुड़ी दरों के साथ, प्रयोक्ता शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए एक पारदर्शी ढांचे का प्रावधान किया गया है।

यात्रियों पर बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क से छूट और मासिक पास उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ को कम करने और वहनीयता, सुविधा बढ़ाने तथा सड़क पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से मौजूदा एनएच शुल्क नियमावली में विभिन्न प्रावधान किए हैं:

(i) अधिक संरचना लंबाई वाले राजमार्गों के लिए प्रयोक्ता शुल्क सीमित करने के लिए सा.का.नि.437 (अ), दिनांकित 01.07.2025,

(ii) 2 लेन पेव्ड शोल्डर राजमार्ग का 4 या अधिक लेन में उन्नयन के मामले में दरों में कमी के लिए सा.का.नि. 01(अ), दिनांकित 31.12.2025

(iii) गैर-वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैन हेतु वार्षिक पास शुरू करने के लिए सा.का.नि. 388 (अ), दिनांकित 17.06.2025। इस योजना में 3000 रुपये (तीन हजार रुपये) के भुगतान पर 200 एनएच शुल्क प्लाजा क्रॉस करने या एक वर्ष की वैधता, जो भी पहले हो, शुरू का प्रावधान है।

(iv) बिना फास्टैग वाले वाहनों या सक्रिय फास्टैग वाले वाहनों के लिए लागू प्रयोक्ता शुल्क को 2 गुना से घटाकर 1.25 गुना करने के लिए, बशर्ते कि प्रयोक्ता यूपीआई के माध्यम से भुगतान का विकल्प का चयन करता है, सा.का.नि. 734 (अ), दिनांकित 03.10.2025;

(v) राष्ट्रीय एक्सप्रेसव, जो अपनी अधिसूचित लंबाई के केवल एक हिस्से के लिए संचालन में है, के उपयोग के लिए लागू शुल्क के 1.25 गुना के बजाय एक बार की दर से शुल्क लगाया जाएगा, के लिए सा.का.नि.107 (अ), दिनांक 04.02.2026।

(vi) मल्टी लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोल प्रणाली का कार्यान्वयन: सरकार ने मल्टी लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है, जो एआई एनालिटिक्स और आरएफआईडी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (फास्टैग) के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) सहित एकीकृत तकनीकों का उपयोग

करके बैरियर-रहित टोलिंग की सुविधा प्रदान करता है, जहां प्रयोक्ता शुल्क वाहन प्रयोक्ताओं से शुल्क प्लाजा लेन में बिना रुके, बिना गति धीमी किए या बिना ठहरे लिया जाएगा।

(vii) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय और नियमित प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क और मासिक पास में छूट के लिए पहले से ही विभिन्न प्रावधान हैं।

सरकार टोलिंग प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और रखरखाव के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कटिबद्ध है।

*****